प्रेस विज्ञप्ति

12.08.2025

हैदराबाद की माननीय विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय को संदीप कुमार की तीन दिनों की रिमांड मंजूर कर दी है। संदीप कुमार को ईडी ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। संदीप कुमार को 1 अगस्त 2025 को माननीय विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और माननीय अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने अपने निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के नाम और तरीके से निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के बहाने लालच दिया और बदले में छूटे हुए इनवॉइस पर आधारित रिटर्न का वादा किया, लेकिन उनकी निवेशित राशि वापस नहीं की। अमरदीप कुमार इस घोटाले का मास्टरमाइंड था और उसने निवेशकों से जमा राशि प्राप्त करने के लिए फाल्कन इनवॉइस ऐप विकसित किया था। ईडी की जाँच से पता चला कि वास्तव में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कोई कारोबार नहीं किया गया था और आरोपियों ने निवेशकों से लगभग 792 करोड़ रुपये की ठगी की। जाँच से यह भी पता चला कि अपराध की आय (पीओसी) का इस्तेमाल कई कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, कंपनियों को ऋण, एक विमान की खरीद, कैसीनो में अवैध उपभोग, अमरदीप कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद आदि के रूप में किया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में पीओसी में से 4.85 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। संदीप कुमार कार्टेल का एक सक्रिय सदस्य था और अपने भाई अमरदीप कुमार के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण वाली कंपनियों से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। जाँच से यह भी पता चला कि संदीप कुमार मेसर्स फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्वास्तिक घी प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, जिन्हें मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड से 5.74 करोड़ रुपये का पीओसी प्राप्त हुआ था। आगे की जांच से पता चला कि संदीप कुमार ने पीओसी का उपयोग अपनी कंपनियों में व्यावसायिक गतिविधियों या अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया था।

ईडी ने इससे पहले 18.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं, जिनमें संदीप कुमार की 7.65 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी शामिल थीं।

आगे की जांच जारी है।